

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 71/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2002- सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2002, जिसे सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 01 मार्च 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (i) क्रम सं. 57 के समक्ष, कॉलम (2) में "ऑटो पीसीबी लोडर" शब्द और अक्षर के स्थान पर "ऑटोमेटिक/सेमी-ऑटोमेटिक पीसीबी लोडर और अनलोडर, जो कि टैरिफ मद 8428 90 90 के अन्तर्गत आते हैं" शब्द, अक्षर और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
68.	<ol style="list-style-type: none"><li>(i) पीसीबी कोटिंग मशीन, जो कि उपशीर्ष 8424 89 के अन्तर्गत आती हैं;</li><li>(ii) पीसीबीए लोडर और अनलोडर, जो कि उपशीर्ष 8479 89 के अन्तर्गत आते हैं।</li></ol>	मोबाइल हैंड सेट्स
69.	<ol style="list-style-type: none"><li>(i) पाउडर ड्रायर, जो कि टैरिफ शीर्ष 8479 89 99 के अन्तर्गत आते हैं;</li><li>(ii) ऑटोमेटिक फीडिंग एन्ड ब्लेंडिंग सिस्टम, जो कि टैरिफ मद 8479 82 00 के अन्तर्गत आते हैं;</li><li>(iii) स्लेरी ट्रांसफर सिस्टम, जो कि टैरिफ मद 8413 70 96 के अन्तर्गत आते हैं;</li><li>(iv) कैथोड एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8424 89 90 के अन्तर्गत आते हैं;</li><li>(v) एनोड एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद</li></ol>	लिथियम ऑयन सेल, मोबाइल हैंड सेट के बैटरी के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले

	<p>8424 89 90 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(vi) कैथोड कम्प्रेसन (कोल्ड प्रेस), जो कि टैरिफ मद 8420 10 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(vii) एनोड कम्प्रेसन (कोल्ड प्रेस), जो कि टैरिफ मद 8420 10 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(viii) हाई वैक्यूम पम्प, जो कि टैरिफ मद 8414 10 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(ix) नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 89 99 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(x) नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिक प्लेट मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 89 99 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xi) फुल्ली ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 81 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xii) सेमी-ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 81 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xiii) ऑटो ईएल फिलिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 89 99 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xiv) हीटिंग एन्ड प्रेसिंग मशीन, लिथियम के लिए, जो कि टैरिफ मद 8419 39 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xv) ऑटो डिगैस्सिंग सीलिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 89 99 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xvi) इलेक्ट्रिक कॉइन सैल क्रिम्पर, डाई माउल्ड युक्त, जो कि टैरिफ मद 8422 40 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xvii) हैंड हैल्ड इलेक्ट्रोड कटर, जो कि टैरिफ मद 8477 80 90 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>xviii) वैक्यूम ओवेन विदाउट वैक्यूम पम्प, जो कि टैरिफ मद 8514 30 90 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xix) इलेक्ट्रोड स्लिटिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8464 90 00 के अन्तर्गत आते हैं;</p> <p>(xx) इवापोरेटर री-सर्क्युलेशन चिलर, जो कि टैरिफ मद 8418 69 90 के अन्तर्गत आते हैं;</p>	
70.	वाइंडिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 81 00 के अन्तर्गत आते हैं;	मोबाइल हैंड सेट्स के स्पीकर और रिसेवर

71.	फुल्ली ऑटोमेटिक यूएसबी सोल्डिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8515 19 00 के अन्तर्गत आते हैं;	डाटा केबल्स
72.	(i) ऑप्टिकल फाइबर केबिल स्टैंडिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 40 00 के अन्तर्गत आते हैं; (ii) ऑप्टिकल फाइबर कलरिंग लाइन मशीन, जो कि टैरिफ मद 8443 19 90 के अन्तर्गत आते हैं; (iii) ऑप्टिकल फाइबर केबिल बफरिंग ट्यूब मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 40 00 के अन्तर्गत आते हैं; (iv) ऑप्टिकल फाइबर ड्रा टावर मशीन, जो कि टैरिफ मद 8475 21 00 के अन्तर्गत आते हैं; (v) ऑप्टिकल फाइबर ड्रा फ्यूरेस सिस्टम, जो कि टैरिफ मद 8514 30 90 के अन्तर्गत आते हैं; (vi) ऑप्टिकल फाइबर रीवाइंडिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8475 21 00 के अन्तर्गत आते हैं; (vii) ऑप्टिकल फाइबर ग्लास कोर मेन्युफैक्चरिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8475 21 00 के अन्तर्गत आते हैं; (viii) ऑप्टिकल ग्लास परफोर्म मेन्युफैक्चरिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8475 29 00 के अन्तर्गत आते हैं; (ix) फाइबर स्पिन डिवाइस, जो कि टैरिफ मद 8445 90 00 के अन्तर्गत आते हैं;	ऑप्टिकल फाइबर/ऑप्टिकल फाइबर केबल्स
73.	प्लाजमा इचिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8479 89 99 के अन्तर्गत आते हैं;	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
74.	ऑटोमेटिक/सेमी-ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, जो कि टैरिफ मद 8443 39 90 के अन्तर्गत आते हैं;	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली" ।

[फा.सं. 356/13/2014-टीआरयू (पार्टे)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 25/2002- सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च 2002 को सा.का.नि. 122(अ) दिनांक 01 मार्च 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में

प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 18/2016- सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च 2016, सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 01 मार्च 2016 के द्वारा संशोधन किया गया था।